कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 480 /रामपुर/27070/2017, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 18 , 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : रामपुर में पिपलिया मिश्र से तीनपानी मुंडियाकला–कमुआ–केमरी मार्ग किमी0 चैनेज 8.568 से 8.618 के मध्य दायीं पटरी पर ग्राम–नारायण नगला के खसरा सं0–238 पर इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.077588 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–476/14–1, दि0 11.08.2017

इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक–47/गाइडलाइन, दि0 07.07.2017

महोदय,

विषयक प्रस्ताव आपके कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ अनेकों सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :—

1— प्रस्तावित वनभूमि की गणना अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार नहीं है। मध्य भाग की गणना मार्ग के किनारे से निजी भूमि की दूरी 16.30 मी0 के स्थान पर 12.00 मी0 के अनुसार की गयी है, जो त्रुटिपूर्ण है। संशोधित गणना के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव को ऑनलाइन व आफलाइन संशोधित करें।

2— प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। उपरोक्त बिन्दु–1 के आलोक में संशोधित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर ऑनलाइन अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

3— ऑनलाइन पार्ट–2 में महत्वपूर्ण अभिलेख यथा, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, चिन्हित वन स्वरूप प्रमाण–पत्र, वनभूमि/गैर वनभूमि की गणना, गजट नोटिफिकेशन, क्षतिपूरक वनीकरण व एन0पी0वी0 जमा करने की वचनबद्धता, स्वामित्व वाले विभाग की अनापत्ति, अनुमोदित ले–आउट प्लान, मक डिस्पोजल प्लान आदि अपलोड नहीं है। उपरोक्त बिन्दु–1 के आलोक में समस्त अभिलेखों को संशोधित कर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर ऑनलाइन–पार्ट–2 के Additional Information Details में अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

4— जस्टीफिकेशन लेटर में भी मध्य भाग की चौड़ाई 16.30 के स्थान पर 12 मी0 अंकित किया गया है। उपरोक्त बिन्दु–1 के आलोक में प्रमाण–पत्र को संशोधित कर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

5— उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर क्रमवार पृष्ठ संख्या एवं तदनुसार विषय सूची को ठीक करने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त पूर्ण एवं सुसंगत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.06.17 द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देश इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त का भी संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ तीन दिन में इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं समस्त सूचनाओं व अभिलेखों को ऑनलाइन एवं आफलाइन पूर्ण कर त्रुटिरहित पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 480 / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रभागीय निदेशक, रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ तीन दिन में इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं समस्त सूचनाओं व अभिलेखों को ऑनलाइन एवं आफलाइन पूर्ण कर त्रुटिरहित पूर्ण संशोधित प्रस्ताव प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2— श्री अरूण ठाकले, सी.डी.आर.एस.एम., इण्डियन ऑयल कार्पो0लि0, बरेली मण्डल कार्यालय, 35–ए, सिविल लाईन्स कमला नेहरू मार्ग, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक,रामपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।